जे.पी.आर.5– 885

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर–302005
फोन नं0 – 0141–2747041, फैक्स नं0 – 0141–2744803
ईमेल – se_comml@yahoo.in

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी–।/एफ. /प्रे0 1080 जयपुर, दिनांक– 17-8-2017

आदेश

विषयः– कृषि उपभोक्ताओं द्वारा जले हुये ट्रांसफार्मर बदलने के संदर्भ में सहयोग राशि बाबत्।

निगम द्वारा जारी आदेश आर.ई.ओ. 223 दिनांक 27.04.2011 के अनुसार यदि कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर जलने पर कृषि उपभोक्ता जला हुआ/खराब हुआ ट्रांसफार्मर मौके से लेकर सहायक अभियन्ता कार्यालय में जमा कराने एवं नया ट्रांसफार्मर सहायक अभियन्ता कार्यालय से अपने कनेक्शन के स्थान तक ले जाने के लिए सहयोग करता है, तो उसे सहयोग राशि के रूप में रू. 300/– का भुगतान आगामी विद्युत बिलों की राशि में समयोजित करने का प्रावधान था, जिसे आर.ई.ओ–264 दिनांक 19.06.2017 द्वारा सहयोग राशि रू. 300/– को बढाकर रू. 700/– कर दिया गया है।

प्रायः यह देखा गया है कि कृषि उपभोक्ता के विद्युत बिलों में नियमानुसार सहयोग राशि का समयोजन नही किया जा रहा है। अतः सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जनवरी, 2017 से जिन किसानों ने ट्रांसफार्मर के ट्रासपोर्टेशन में सहयोग किया उन्हें तत्कालीन नियमानुसार सहयोग राशि उनके आगामी बिलों में जेपीडी 6/428 व जेपीडी 6/455 (संशोधित जेपीडी 6/459) के अनुरूप समायोजित करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में भी सहयोग राशि उनके आगमी बिलों में समायोजित करना सुनिश्चित करें। उक्त मद में दी गयी राशि का विवरण वृत लेखाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 15 तारीख तक CAO (R&B) को उपखण्डवार भेजा जावेगा।

आज्ञा से

(ए.के. खण्डेलवाल)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

Desktop/San/JPR